वर्ष 4, अंक 64

राष्ट्र महिला

फरवरी, 2005 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

अब तक दिल्ली की सड़को को, जहां देश के सभी अन्य महानगरों की अपेक्षा बलात्कार की अधिक घटनाएं होती हैं, महिलाओं के लिए असुरक्षित समझा जाता था। किन्तु अब सबसे अधिक दिल दहलाने वाली बात यह है कि विद्यालय भी छात्राओं के यौन शोषण के अडडे बन गयो हैं और अनेक मामलों में यह दुष्कर्म विद्यालयों के प्रिंसिपलों तथा अध्यापकों द्वारा किया जाता है।

हाल ही में सरकारी विद्यालयों के प्रिंसिपल और उप-प्रिंसिपल तथा उनके दो सहयोगियों द्वारा एक छात्रा के साथ पाशविक बलात्कार से देश में दहशत फैल गई और विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा पर प्रश्नचिहन लग गया है।

पहले भी विद्यालयों में छात्राओं के यौन उत्पीडन, बलात्कार और उनके साथ छेड़खानी के समाचार प्रकाशित हुए हैं। किन्तु यह मामला तो अन्य सभी मामलों से अधिक भौंडा है जिसमें प्रिंसिपल ही जिसे एक आदर्श स्थापित करना चाहिए था, घिनौने कुकर्म का अपराधी है।

सरकार बालिकाओं की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है किन्तु इस प्रकार के विश्वासघात से बालिकाओं के विद्यालयों में दाखिले पर प्रतिकूल प्रभाव पडना और बीच में विद्यालय छोड़ने की दर में वृद्धि होना अवश्यंभावी है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि बलात्कारियों को निवारक सजा बहुत कम दी जाती है। मुख्य रूप से दांडिक न्याय प्रक्रिया जटिल होने के कारण 20 प्रतिशत से कम मामलों में दोषियों को सज़ा मिलती है। तथापि यह मामला इस तथ्य की याद दिलाता है कि दोषियों को निश्चित रूप से दंडित करने से ही जनता में विश्वास पैदा होगा।

ज़िला स्तर पर यौन उत्पीडन कक्षों की स्थापना करने की दिशा में दिल्ली सरकार द्वारा की गई कार्यवाही भी एक सराहनीय कदम है। इसके अतिरिक्त अभिभावकों तथा विद्यालय प्राधिकारियों को अध्यापकों के यौन दुराचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से निवारक तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। छात्राओं को भी बलात्कार तथा छेड़छाड़ से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि ऐसे घृणित कृत्यों का भंडाफोड किया जा सकें। इतना ही नहीं, अध्यापक समुदाय को भी उन लोगों का बहिष्कार करने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए जिनके काम और आचरण से इस नेक पेशे की बदनामी होती है।

क्या आप जानते हैं?

2 करोड़ 60 लाख - विश्व के **20 प्रतिशत** शिशु हर वर्ष भारत में जन्म लेते हैं।

12 लाख - विश्व के **30 प्रतिशत** शिशु जन्म के एक माह के भीतर मर जाते हैं।

केरल में नवजात मृत्यु दर प्रति हज़ार 10 है जो सबसे कम है।

उड़ीसा में नवजात मृत्यु दर 61 प्रति **1000 है** जो सबसे अधिक है।

चर्चा में — **विद्यालयों में बलात्कारी**

विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य हो : आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांग की है कि महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए। आयोग ने यह मांग भी की है कि ऐसे धर्म में जो एक से अधिक पत्नी की इजाज़त देता है, परिवर्तन के पश्चात द्विविवाह करने पर रोक लगाई जानी चाहिए।

आयोग ने वैयक्ति कानूनों पर अपने प्रतिवेदन में महिलाओं के पक्ष में कई सुधारों का सुझाव दिया है किन्तु यह स्पष्ट किया है कि उठाये गये मुद्दों का एक समान सिविल संहिता से कोई सम्बन्ध नही है। इसके वजाय आयोग ने धर्म तथा लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करके सम्बन्धित वैयक्तिक कानूनों में सुधार लाने की आवश्यकता पर जो दिया है।

किन्तु आयोग के अनुसार विधि प्रवर्तकों की मानसिकता में परिवर्तन लाये बिना सांविधिक कानून में सुधार का कोई अर्थ नहीं होगा।

ऐसी सरल, तेज़ और सस्ती न्यायालय प्रक्रियाओं की व्यवस्था करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है जहां एक महिला उत्पीडित, अवमानित या संकटग्रस्त महसूस न करे।''

प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि न्यूनतम आयु अपेक्षा का उल्लंघन कर के किये जाने वाले विवाह पर पूरी तरह रोक लगा दी जानी चाहिए और जब तक ऐसा नहीं किया जाता कठोर सज़ा दी जानी चाहिए। तलाक या पृथक्करण के मामले में वैवाहिक परिसम्पदा के निबटारे या बंटवारे के लिए पर्याप्त प्रावधान किये जाने चाहिए। पत्नी को उचित आश्रय और सुरक्ष प्रदान की जानी चाहिए।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि दत्तकग्रहण केवल हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ही अनुज्ञेय है। एक पारसी या इसाई को किसी कानून के तहत गोद लेने का अधिकार नहीं है।

आवश्यता इस बात की है कि एक एकसा दत्तक कानून बनाया जाए अथवा बहरहाल एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत पारसियों तथा ईसाईयों को भी गोद लेने का अधिकार हो। प्रतिवेदन में यह टिप्पणी एक बच्चे को गोद लेने या देने के अधिकार के मामले में हिन्दु विवाह अधिनियम में महिलाओं के प्रति भेदवाव की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए की गई है। इस मामले में दोनों माता तथा पिता को बराबर अधिकार होना चाहिए।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि एक हिन्दु महिला तो वैवाहिक मुकदमेबाज़ी का सहारा लिये बिन भी वैयक्तिक कानून के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती है किन्तु एक पारसी या इसाई पत्नी को अपने वैयक्तिक कानून के तहत एक वैवाहिक मामला दर्ज किये बिना ऐसी मांग करने का कोई अधिकार नहीं है जो धर्म पर आधारित भेदभाव के बराबर है।

आयोग की नई अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास

डा. (सुश्री) गिरिजा व्यास ने 16 फरवरी, 2005 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा का पदभार संभाला।

उन्होंने अपना शैक्षिक जीवन पूरा करने और दर्शनशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उदयपुर विश्वविद्यालय में तथा संयुक्त राज्य अमरीका के डेलवारे विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। 1985 में, वह उदयपुर नगर, राजस्थान से एक विधायक के रूप में निर्वाचित हुईं और 1990 तक राजस्थान मंत्रिमंडल में एक मंत्री के रूप में काम किया।

1990 में, वह संसद के लिए निर्वाचित हुईं और एक उप-मंत्री के रूप में केन्द्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुई। 1996-2004 के बीच वह एक सांसद रहीं और 2001-2004 के दौरान वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राजस्थान की अध्यक्षा भी रहीं। इस समय वह अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग की अध्यक्षा और भारत-यूरोपीय सिविल सोसाइटी की सदस्या हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों तथा उत्कृष्टता के लिए काफी ख्याति पाने के कारण उन्होंने क्रमश: भारतीय महिलाओं की भूमिका, महादुरा के गीत, हिंदू दर्शनशास्त्र, प्रेम और यौन पर विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं में भाषण देने के लिए शिकागो, ओहियो, पेनसेल्वेनिया का दौरा किया।

भारत और अन्य देशों की लम्बी यात्रा करने वाली सुश्री व्यास ने सम्मेलनों में भाग लेने अथवा भाषण देने के लिए सयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, मौरीशस, बर्लिन, श्रीलंका, कैरो, पीचिंग, तेइवान, स्पेन, ब्रिटेन आदि का दौरा किया।

एक बड़ी लेखक होने के नाते उन्होंने कई प्रकाशन तथा पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें एथीकल टीचिंग ऑफ गीता एण्ड बाईबल, फिलोसिफी ऑफ शुद्धावैत, सीप, समन्द्र, मोती, नोसटालजिआ तथा अन्य कविताएं, फिलास्फी ऑफ डेमोक्रेसी आदि शामिल हैं।

हम आयोग में सुश्री व्यास का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के रूप में उनका कार्यकाल सफल रहेगा और वह आयोग को सक्रिय तथा गतिशील नेतृत्व प्रदान करेंगी।

मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग ला बोर्ड

उत्पीडित मुस्लिम महिलाओं, अधिकतर तेहरे तलाक की असंदिग्ध पीड़िताओं ने अब एक मंच बनाया है जो उनकी समस्याओं को उठायेगा।।

शिया पर्सनल ला बोर्ड के गठन के एक सप्ताह के भीतर मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने में आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की असमर्थता के विरोध में महिलाएं आगे आई हैं और आल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल ला बोर्ड का गठन किया है।

महिला बोर्ड ने अपनी ओर से पूरी मुस्तैदी के साथ उपयुक्त मंचों पर इन मुद्दों को उठाने की शपथ ली है।

नव-गठित बोर्ड की अध्यक्षा शैस्ता अम्बेर ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है किन्तु तथ्य यह है कि उलेमाओं तथा अन्य मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने उन्हें अपने अधिकारें से वंचित रखा है। उन्होंने आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड पर महिलाओं के मुद्दों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और कहा कि मुस्लिम महिलाएं तलाक और निकाह संबंधी मामलों से पूरी तरह अवगत नहीं है।

नया बोर्ड विशेष रूप से महिलओं के लिए गठित किया गया है और बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं को इस्लाम के दायरे में अपने अधिकार दिये जाएं।

कानूनों में महिलाओं के प्रति पक्षपात

यू.पी.ए. के सामान्य न्यूनतम कार्यकम के अनुसार विधान में महिलाओं के लिए समान अधिकारों का प्रावधान करने के उद्देश्य से विधि मंत्रालय ने कानूनों में महिलाओं के प्रति भेदभाव का पता लगाने के लिए कानूनों की संमीक्षा करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

राष्ट्रीय महिला आयोग समेत विभिन्न महिला समूहों तथा संगठनों से ऐसे कानूनों को सरल बनाने के लिए आवश्यक सामग्री तथा सुझाव देने के लिए कहा जा रहा है जो महिलाओं के प्रति संवेदी नहीं हैं।

पिता की सम्पत्ति में महिलओं को हिस्सा देने हेतु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रस्ताव कानूनों को साम्यिक बनाने की दिशा में एक कदम है। इसी प्रकार बाल विवाह निवारण अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय भी इसी दिशा में एक कदम है।

बाल विवाह एक संज्ञेय अपराध है और कानून में प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार इन विवाहों का अनुष्ठान करने वाले मां-बाप तथा पुजारियों को भी सजा दी जा सकती है। इसी प्रकार, ऐसे विवाहों में सम्मिलित बच्चों को इसे तोड़ने का अधिकार होगा। उन क्षेत्रों में जहां विवाह की प्रथा प्रचलित है इस प्रथा के विरूद्ध जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए 'परामर्शदाता' नियुक्त किये जायेंगे।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्र को महिलाओं से सम्बन्धित 42 कानूनों की एक सूची भेजी थी जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है चूंकि 1860 में अधिनियमित भारतीय दण्ड संहिता में अब तक केवल दो बार संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने द्विविवाह तथा बलात्कार जैसे शब्दों की पुन: परिभाषा करने की भी मांग की है।

महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक, घरेलू हिंसा (निवारण) विधेयक और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी विधेयक को भी अमल में लाने की आवश्यकता है।

विदेशों से समाचार

ब्रिटेन में गर्भवती महिलाओं को जबरन नौकरी से निकाला गया - सर्वेक्षण

ब्रिटेन में हर वर्ष गर्भवती होने के कारण करीब 30,000 कामकाजी महिलाओं को निकाल दिया जाता है, फालतू कर दिया जाता है या नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है। समान अवसर आयोग के गर्भवती महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान के एक अंग के रूप में आयोग द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति व्यापक भेदभाव होता है।

जिन महिलाओं से प्रश्न पूछे गये, उनमें से करीब आधी महिलाओं ने बताया कि गर्भवती होने के कारण उनके साथ किसी न किसी प्रकार का भेदभाव किया गया और 20 प्रतिशत महिलाओं को अपने काम से हाथ धोना पड़ा या उन्हें वेतन वृद्धि नहीं मिली अथवा पदोन्नति नहीं मिली। समान अवसर आयोग का कहना था कि इसके अभियान के परिणामस्वरूप सामने आये तथ्यों से स्पष्ट हो गया है कि गर्भवती महिलाओं के साथ पदोन्नति न देने, वेतनवृद्धि, बोनस और प्रशिक्षण के अवसरों से वंचित करने, काम के स्वरूप में परिवर्तन करने, निर्णयों से बाहर रखने और शाब्दिक दुर्वचन के रूप में विभिन्न प्रकार का भेदभाव किया जाता है।

अनेक इस्लामी देशों में तात्कालिक तेहरा तलाक निषिद्ध

पाकिस्तान, बंगलादेश, तुर्की, टुनीसिया, एलजेरिया, इराक, इरान, इंडोनेशिया समेत अनेक इस्लामी देशों में तलाक शब्द का तीन बार उच्चारण करके तलाक लेने की प्रथा कानूनी तौर पर रोक दी गई है।

वास्तव में पाकिस्तान में 1961 में ही इस प्रथा पर रोक लगा दी गई थी जब पारिवारिक विधि अध्यादेश लागू करके सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया और तलाक लेने से पूर्व सरकारी अधिकारी की निगरानी में एक दम्पत्ति के लिए सुलहकारी प्रक्रिया से गुज़रना आवश्यक कर दिया गया।

तुर्की, मिश्र, सूडान, इंडोनेशिया, इराक और पाकिस्तान ने जहां बहुविवाह के बारे में कठोर न्यायिक और प्रशासनिक विनियम बनाये हैं, मलेशिया और बरूनी में इस प्रथा पर रोक लगा दी गई है।

नये सदस्य सचिव ने आयोग में पदभार संभाला

श्री एन.पी. गुप्ता ने, जो अभी हाल तक तमिलनाडु सरकार में विशेष आयुक्त थे, 17 फरवरी, 2005 से राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है।

श्री गुप्ता ने, जो शिक्षा की दृष्टि से विद्युत-अभियन्ता हैं, 1972 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया और उन्हें तमिलनाडु संवर्ग आबंटित किया गया। एक उप-समाहर्ता, तत्पश्चात समाहर्ता के रूप में अपना जीवन आरम्भ करते हुए श्री गुप्ता सरकार के सचिव पद तक पहुंचे और पशुपालन एवं मछलीपालन, हथकरघा और कपड़ा, लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन के सचिव तथा को-आपटैक्स के प्रबन्ध -निदेशक के रूप में राज्य सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए।

हम श्री गुप्ता का आयोग में स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वे अपने बहु-आयामी अनुभव के आधार पर देश में महिलाओं के आन्दोलन को आगे बढ़ावा दे सकेंगे।

सदस्यों के दौरे

● सदस्या (डा.) सुधा मालैया ने 18.01.2005 को भोपाल में राष्ट्रीय वन प्रबन्धन संस्थान द्वारा 'जनजातीय महिलाएं और वन उत्पाद' पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने पहले कारबार सत्र की अध्यक्षता की। तत्पश्चात उन्होंने उद्योग आयुक्त, डी.यू.डी.ए. के निदेशक सहित महिला उद्यमियों तथा गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने उद्योग विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच अधिक तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया।

डा. मालैया ने 3-4 फरवरी को मध्य प्रदेश कंसलटेंसी आर्गेनाइज़ेशन लि., भोपाल द्वारा उद्योग में महिलाओं की समस्याओं, संभावनाओं तथा नीतियों पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने इसी प्रकार की उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा महिला उद्यमियों पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में 10 फरवरी को भाग लिया। इन दोनों कार्यशालाओं में सरकार की विद्यमान महिला-अनुकूल नीतियों, महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय संस्थाओं, उत्पादों की पहचान, विपणन, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी अन्तरण, वित्तीय साधनों तक पहुंच, गैर-पाम्परिक उद्यमिता कार्यकलाप, औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, आदि जैसे विषयों पर चर्चा की गई। जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें से एक मुद्दा यह था कि यद्यपि बैंक दावा करते हैं कि 2.00 लाख रुपये तक ऋणों के लिए किसी ऋणाधार प्रत्याभूति की आवश्यकता नहीं है, बहुत सी महिलाओं की शिकायत है कि उन्हें ऋण लेने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी अन्तरण से सम्बन्धित सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

● सदस्या अनुसूया ने 7 जनवरी से 8 जनवरी तक कृषि में कार्यरत महिलाओं के लिए राष्ट्रीय शोध केन्द्र, भुवनेश्वर में यंत्रीकृत कृषि में महिलाओं की भूमिका पर आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए दौरा किया। यह कार्यशाला राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित की गई। इस कार्यशाला में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, बैंकों, ग़ैर-सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों समेत 72 सहभागियों ने भाग लिया।

सुश्री उइके ने 11 जनवरी को छिंदवाड़ा में 'कोशिश' द्वारा आयोजित युवा संसद और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित जन-सुनवाई में भाग लिया। तत्पश्चात उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। 18 और 19 जनवरी को जनजातीय महिलाएं और वन उत्पाद पर आयोजित सेमीनार में भाग लेने के लिए सदस्या ने भोपाल का दौरा किया।

अनिवासी भारतीयों के विवाहों पर बैठक

विदेश मंत्रालय ने अनिवासी भारतीयों के विवाहों से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया।

बैठक में भाग लेने वालों का स्वागत करते हुए विदेशी भारतीय कार्य मंत्रालय (एम.ओ. आई.ए.) के सचिव श्री कृष्ण कुमार ने भाग लेने वालों से अनुरोध किया कि वे कपटपूर्ण विवाहों का शिकार बनने वाली भारतीय महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने में मंत्रालय की भूमिका और कार्य पर प्रकाश डालें। उन्होंने बैठक में भाग लेने वालों से यह भी अनुरोध किया कि वे अनिवासी भारतीयों के विवाहों के सम्बन्ध में मां-बाप और महिलाओं के मार्ग-दर्शन के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित करने के प्रस्ताव पर अपने विचार बतायें।

'पार्टनर्स फार ला इन डिवेल्पमेंट' की प्रतिनिधि श्रीमती अमिता पुंज का मानना था कि आम जनता के मार्गदर्शन के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित करना आवश्यक है।

'ह्यूमन राइट्स ला नेटवर्क' की राष्ट्रीय निदेशक श्रीमति श्रुति पांडेय ने बताया कि विवाह के पश्चात अन्य देशों में जाने वाली महिलाएं परित्यक्त कर दिये जाने या अन्यथा दुर्व्यवहार किये जाने की स्थिति में उस देश में सहायता प्राप्त करने की प्रणाली से अवगत नहीं होतीं। ऐसी स्थिति में दूसरे देशों में भारतीय मिशनों को उनके बचाव में सहायता करनी चाहिए। पुस्तिका में मिशनों के टेलीफोन और सम्पर्क पते दर्शाने से यह पुस्तिका काफी उपयोगी हो सकती है।

'मार्ग' के कार्यकारी निदेशक ने सुधारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा निवारक उपायों पर जोर दिया। उन्होंने प्रस्तावित दूल्हे की वित्तीय स्थिति, आपराधिक इतिवृत, पूर्ववर्ती विवाह या तलाक आदि के पूर्व इतिहास, आदि समेत उसकी पृष्ठभूमि का सत्यापन करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि भावी दूल्हा पत्नी के नाम में पर्याप्त राशि जमा करे जिस पर केवल उसका अधिकार हो तो इससे भी काफी मदद मिलेगी और ऐसा करने से धोखाधड़ी की गुंजाइश कम हो जाएगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुश्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि कुछ मामलों में, जिनमें उन्हें संकटग्रस्त महिलाओं से शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उन्होंने शिकायतों को विदेश मंत्रालय को भेजा था और विदेश मंत्रालय ने इन शिकायतों को विदेशों में स्थित हमारे मिशनों को भेज दिया था। किन्तु, उन्हें एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर मामले का पीछा करना पड़ा और प्रक्रिया बहुत धीमी रही और इसकी गति इतनी नहीं थी जितनी कि इस पर कार्यवाही करने के लिए अपेक्षा की जाती है। कुछ मामलों में जिनमें वे किसी तरह तथ्यों को विदेशों के न्यायालयों अथवा विरोधी पक्ष के वकील के ध्यान में ठीक तरह लाने में सफल रहे, परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे।

विदेश मंत्रालय में एल एण्ड टी प्रभाग के निदेशक डा. नीरू चड्ढा ने बताया कि न्यायालय आदेश तथा समन आदि तामील करने के लिए भारत ने विभिन्न देशों के साथ आपसी कानूनी समझौते किये हैं और विदेशों में स्थित हमारे मिशन उन व्यक्तियों को आवश्यक सहायता और मदद देते हैं जो संकट की स्थिति में उनके पास आते हैं। जहां तक पृष्ठभूमि और पूर्ववृत्त के सत्यापन का सम्बन्ध है, उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसा अनिवासी भारतीयों की एसोसिएशनों के माध्यम से किया जा सकता है क्योंकि सरकार सूचना के सही तथा वैध होने के बारे में ज़िम्मेदारी और दायित्व नहीं ले सकती।

विदेशी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने भी बताया कि इन मामलों में सरकार सत्यापन आदि के लिए सीधे ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती और यह कार्य अनिवासी भारतीयों की एसोसिएशनों या गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जा सकता है।

विदेशी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने अनिवासी भारतीयों के विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण के बारे में विचार आमंत्रित किये। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ने बताया कि विवाहों का पंजीकरण सभी विवाहों के मामले में, न कि केवल अनिवासी भारतीयों के विवाहों के मामले में अनिवार्य करना होगा क्योंकि यह विवाह का अतिरिक्त और कानूनी सबूत होगा जिससे परित्यक्त महिलाओं का पक्ष मज़बूत होगा।

सदस्या सुश्री सीतारमन ने यह सुझाव भी दिया कि एक हैल्पलाइन स्थापित की जाए जो स्थानीय भाषाओं में पीड़ितों की मदद कर सके और राहत के उपलब्ध स्रोतों के बारे में सम्बन्धित व्यक्तियों का मार्गदर्शन कर सके।

यह तय हुआ कि सूचना पुस्तिका तैयार करने के लिए अपेक्षित जानकारी ह्यूमन राइट्स ला नेटवर्क के राष्ट्रीय निदेशक को भेजी जाएगी।

महत्वपूर्ण निर्णय

अवैध बच्चे को पिता की जाति मिली : उच्चतम न्यायालय

● उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया है कि अवैध सम्बन्धों से उत्पन्न बच्चा अपने पिता का वंश ग्रहण कर सकेगा।

आंध्र प्रदेश में एक आरक्षित चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित एक विधायक की जाति स्थिति से सम्बन्धित एक याचिका में यह निर्णय देते हुए एक खण्डपीठ ने आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक निर्णय का समर्थन किया जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित एक चुनाव क्षेत्र में एक तेलुगु देशम पार्टी के महिला उम्मीदवार का निर्वाचन इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उसकी मां वगाथा समुदाय की थी जो कि एक अधिसूचित अनुसूचित जनजाति समुदाय है।

मकान मालिक पति द्वारा परित्यक्त महिला को बेदखल नहीं कर सकता।

● उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया है कि यदि कोई पति, जो किरायेदार है, अपनी पत्नी को परित्यक्त करता है और मकान को छोड़ देता है तो मकान मालिक तब तक उसे बेदखल नहीं कर सकता जब तक वह किराया देती है और किरायेदारी की शर्तों को पूरा करती है।

खण्डपीठ का कहना था कि ऐसी स्थिति में पत्नी को केवल दो शर्तों को पूरा करना होता है - कि उसके पति ने उसी किरायेदारी का दावा छोड़ दिया है और इसे बनाये रखने का उसका दावा उसके पति के दावे से अधिक मज़बूत नहीं होगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें वैबसाइट

www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। फोन : 23237166, फैक्स : 23236154
अभिनव प्रिंट्स, शकूर बस्ती, दिल्ली-110034 में मुद्रित। सम्पादक : गौरी सेन